रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर

उद्यानों में वृक्षारोपण तथा उद्यानों के विकास एवं संधारण किये जाने के संबंध में

क्रमांक ..../रा.वि.प्रा./2026 **रायपुर, दिनांक**.........................

रायपुर विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उद्यानों का विकास एवं संधारण किये जाने के संबंध में इच्छुक पंजीकृत संस्था, पंजीकृत NGO **पंजीकृत समूह, पंजीकृत औद्योगिक समूह के आवेदन पत्र प्राप्त होने पर निम्नानुसार** SOP **(मानक संचालन प्रक्रिया) लागू किया जाना प्रस्तावित है:-**

	अमानत राशि	रू. 50,000/-
	रायपुर विकास प्राधिकरण के पास उद्यानों के विकास एवं वृक्षारोपण हेतु निम्नानुसार उद्यान स्थल, मार्ग विभाजक आदि उपलब्ध है:-	
A	योजना का नाम	संख्या
1	कौशल्या माता विहार	153 नग उद्यान
2	इन्द्रप्रस्थ रायपुरा योजना	20 नग उद्यान
3	मार्ग विभाजक	12,000 रनिंग मीटर
4	कौशल्या माता विहार, रिंग रोड़ नंबर-04	3.5 कि.मी
5	कौशल्या माता विहार में MR No.-21	1.5 कि.मी

- नियम एवं शर्ते -

रायपुर विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में उद्यानों, ग्रीन-वे एवं सड़क के मार्ग विभाजकों को अलंकृत पौधों के रोपण करते हुए सौन्दर्यीकरण किए जाने हेतु नियम एवं शर्तें।

1. **पंजीकृत ऐजेंसी (पंजीकृत संस्था, पंजीकृत** NGO, **पंजीकृत समूह, पंजीकृत औद्योगिक समूह)। आवेदन पत्र के साथ पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।**
2. (1) **रू.** 50,000/- **का अमानत राशि का** FDR/B.G/RTGS/NEFT **जो राष्ट्रीयकृत बैंक/निजी बैंक से जारी हुआ हो.** (2) **पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति** (3) **ऐजेंसी के पेन कार्ड की छायाप्रति** (4) **जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति** (5) **पिछले** 03 **वर्ष के आयकर रिटर्न की छायाप्रति** (6) **आवेदन पत्र के साथ उपरोक्त सभी दस्तावेज जमा किया जाना होगा।**
3. **सर्शत आवेदन स्वीकार नहीं किये जाऐंगे।**
4. **संस्था/ऐजेंसी किसी भी शासकीय, अर्धशासकीय या नगरीय निकाय आदि में कालीसूची में दर्ज न हो।**
5. **अमानती राशि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण रायपुर के नाम से जमा करना होगा।**
6. **किन्ही अपरिहार्य कारणों से उद्यान के विकास एवं संधारण का कार्य निरस्त किया जाता है तो केवल अमानति राशि वापस की जायेगी। आवेदक को किसी तरह की क्षतिपूर्ति नहीं दी जायेगी।**
7. **उद्यान विकास एवं संधारण हेतु स्थल रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।**

8. किसी भी आवेदन को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर के पास सुरक्षित है।

9. कार्य के संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालयीन दिवस एवं समय पर रायपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

10. पंजीकृत ऐजेंसी को उद्यान विकास, उद्यान के पुनर्विकास एवं मार्ग विभाजक में शोभायमान झाडियों, फूलदार, फलदार पौधों का रोपण तथा लगे हुए पौधों के संधारण कार्य के बदले रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा योजना क्षेत्र के संबंधित उद्यानों में स्वयं के नाम के प्रदर्शन हेतु स्थान उपलब्ध कराया जाएगा।

11. प्रति हजार वर्गमीटर क्षेत्र के लिए पांच नाम पट्टिका लगाई जा सकेगी। नाम पट्टिका का आकार 4 x 2 फीट रहेगा। नाम पट्टिका की डिजाइन, रंग आदि का अनुमोदन रायपुर विकास प्राधिकरण से प्राप्त करने के पश्चात ही लगाई जा सकेगी।

12. नाम पट्टिका में निम्नलिखित जानकारी प्रदर्शित की जा सकेगी।

Developed & Maintained by
XXX (Name of Agency)

13. आवेदक अपने संस्था के नाम के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य नाम का उल्लेख नहीं कर सकेगा।

14. नाम पट्टिका में धार्मिक, राजनैतिक, अश्लील, किसी व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले विवरण इत्यादि का प्रदर्षन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

15. आवेदक को नगर पालिक निगम रायपुर की विज्ञापन नीति 2024 का पालन करना पूर्णतः अनिवार्य होगा। प्रतिबंधित विज्ञापनों का प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा।

16. विकास कार्य एवं पुनर्विकास -

- नये उद्यान का विकास कार्य - उद्यान स्थल में उगे हुए जंगली झाड़ियों की सफाई, यदि आवश्यकता हो तो उपजाऊ मिट्टी की पूर्ति एवं उद्यान स्थल में मिट्टी भराई का कार्य, मिट्टी की उपजाऊ में वृद्धि हेतु रेत एवं सड़ी हुई गोबर खाद की आवश्यकतानुसार पूर्ति तथा मिट्टी में एक समान फैलाकर मिश्रित करने का कार्य व मिट्टी की समतलीकरण पश्चात, लान का विकास एवं शोभादार पेड़-पौधों का रोपण कार्य तथा विकसित किये गये उद्यान का नियमित संधारण का कार्य।
- उद्यान का पुनर्विकास (Renovation) - पूर्व में विकसित उद्यान में खरपतवार की सफाई, नियंत्रण, मृत पौधों की जगह नये पौधों का रोपण, खराब लान को पुनः ठीक करने (उपजाऊ मिट्टी की पूर्ति एवं रेत, गोबर खाद से मिट्टी की तैयारी कर नये लांन का विकास) पश्चात् उद्यान का नियमित रख रखाव का कार्य।
- मार्ग विभाजक में रोपित पौधों का संधारण कार्य- जंगली एवं कटीले झाड़ियों की सफाई, रोपित पौधों की छँटाई एवं सिचाई व नियमित संधारण तथा मृत पौधों की जगह नये पौधों का रोपण कर संधारण कार्य।
- मार्ग विभाजक में नये पौधों का रोपण कार्य:- सेक्टर लेबल के मार्ग विभाजक में शोभायमान फूल वाली झाड़ियों का रोपण एवं संधारण।

17. **उद्यान विकास/पौधारोपण के उपरांत समस्त आवश्यक संधारण का कार्य एजेंसी को स्वयं के व्यय से करना होगा तथा संधारण कार्य करने की जानकारी समय-समय पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी रायपुर विकास प्राधिकरण को देना अनिवार्य होगा।**
18. **उद्यान स्थल, जहां है, जैसा है, कि स्थिति में उपलब्ध कराया जायेगा।**
19. **उद्यान के विकास कार्य हेतु आबंटित एजेंसी द्वारा नियम/शर्तों का अनुबंध कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रारंभिक अनुबंध** 01 **वर्ष की अवधि के लिए किया जायेगा। सफलता पूर्वक संधारण कार्य पूर्ण करने पर क्रमशः** 02 **बार** 1-1 **वर्ष के लिए अनुबंध का नवीनीकरण किया जा सकेगा। अनुबंध का नवीनीकरण करना, न करना प्राधिकरण का विवेकाधिकार होगा।**
20. **प्रारंभिक अनुबंध में ऐजेंसी द्वारा कार्य में यथोचित प्रगति न होने की स्थिति में उपलब्ध कराया गया उद्यान स्थल अनुबंध निरस्त करते हुए** 03 **दिवस के भीतर वापस ले लिया जायेगा, एवं इस हेतु ऐजेंसी की ओर से किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति मान्य नहीं होगी।**
21. **अनुबंध प्रक्रिया में होने वाले समस्त व्यय ऐजेंसी द्वारा वहन किया जायेगा।**
22. **अनुबंध समाप्ति पश्चात सभी विकसित उद्यान स्वतः रायपुर विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित हो जायेगा।**
23. **प्राधिकरण के विभिन्न योजना क्षेत्रों में वृक्षारोपण या उद्यान के विकास हेतु उपलब्ध कराये गए स्थल पर किये जाने वाले विकास कार्य की विस्तृत कार्य योजना, एजेंसी द्वारा रायपुर विकास प्राधिकरण को** 15 **दिवस में प्रस्तुत करना होगा। कार्य योजना के मूल्यांकन पश्चात स्वीकृति/अनुमति प्रदान की जावेगी।**
24. **प्रस्ताव स्वीकृत होने के सूचना प्राप्ति के** 07 **दिनों के भीतर अनुबंध करना होगा। नियत अवधि में अनुबंध न करने की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा चलित कार्रवाई निरस्त किया जा सकेगा।**
25. **अनुबंध के पश्चात स्वीकृत कार्य योजना अनुसार ऐजेंसी को तत्काल विकास, संधारण, रखरखाव का कार्य प्रारंभ करना होगा। प्रारंभिक अनुबंध में ऐजेंसी द्वारा कार्य में यथोचित प्रगति न होने की स्थिति में उपलब्ध कराया गया उद्यान स्थल अनुबंध निरस्त करते हुए** 03 **दिवस के भीतर वापस ले लिया जायेगा, एवं किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति मान्य नहीं होगी।**
26. **वृक्षारोपण या उद्यान के विकास हेतु उपलब्ध कराया गया स्थल का मालिकाना हक पूर्णतः एवं सदैव रायपुर विकास प्राधिकरण का ही रहेगा।**
27. **उपलब्ध कराये गए उद्यान स्थल में विद्युत कनेक्शन हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदाय किया जायेगा। विद्युत कनेक्शन, प्रकाश व्यवस्था तथा विद्युत देयकों का भुगतान ऐजेंसी को स्वयं के व्यय से करना होगा।**
28. **वृक्षारोपण एवं उद्यान के विकास में जल की उपलब्धता, जल संग्रहण एवं सिचाई कार्य हेतु टंकी/पाइप लाइन की व्यवस्था ऐजेंसी को स्वयं अपने व्यय से कराना होगा।**
29. **उद्यान स्थल के चारो ओर स्थित बाउण्ड्रीवाल में ग्रील, गेट, फेंसिंग में मरम्मत की आवश्यकता होने पर भारित व्यय को ऐजेंसी द्वारा वहन किया जायेगा।**

30. **उद्यान स्थल में मिट्टी भराई (**Filling**) की आवश्यकता होती है तो मिट्टी भराई का कार्य ऐजेंसी को स्वयं राशि व्यय कर करना होगा।**

31. **उद्यान के विकास हेतु उपलब्ध कराये गये स्थल में केवल उद्यान का ही कार्य किया जा सकेगा एवं किसी भी प्रकार की संरचना का निर्माण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उल्लंघन की स्थिति में अनुबंध निरस्त करने हुए** 03 **दिवस के भीतर उक्त उद्यान स्थल वापस ले लिया जायेगा, एवं किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति मान्य नहीं होगी।**

32. **अनुबंध अवधि के दौरान केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, नगरीय निकायो तथा नगर पालिक निगम द्वारा प्रचलित समय-समय पर लागू की जाने वाले नियमो, अधिनियमों, आदेश, निर्णय, संकल्पो का ऐजेंसी को पालन करना अनिवार्य होगा।**

33. **अनुबंधित ऐजेंसी को श्रम कानून के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।**

34. **किसी प्रकार की जनधन की हानि हेतु जिम्मेदारी तथा क्षतिपूर्ति ऐजेंसी द्वारा वहन की जावेगी।**

35. **वृक्षारोपण, उद्यान विकास कार्य के संबंध में कोई भी विवाद या आपत्ति की स्थिति में अनुबंध पूर्ण रूप से समाप्त की जा सकेगी। इस स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा।**

36. **प्राधिकरण के प्रभारी अधिकारी द्वारा समय-समय पर उद्यानों का निरीक्षण किया जा सकेगा व निरीक्षण के दौरान सक्षम अधिकारी द्वारा दिये गए निर्देशों का पालन करना होगा। उद्यान में रोपे गये पौधों-वृक्षों, झाड़ियों तथा लान घास का आवश्यकतानुसार सिचाई, निदाई, गुड़ाई, खाद एवं उर्वरक का उपयोग तथा कीट एवं रोगो से बचाव हेतु कीटनाशक, फफूंदनाशको का छिड़काव आवश्यकतानुसार कर उद्यानों को पूर्णतः साफ, एवं व्यवस्थित रखते हुए पौधों को जीवित तथा स्वस्थ अवस्था में रखने का दायित्व ऐजेंसी का होगा।**

37. **उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा** 03 **दिनों का नोटिस दिया जाकर अनुबंध निरस्त करने की कार्रवाई की जायेगी, एवं अमानत राशि राजसात कर ली जायेगी। तथा उपलब्ध कराया गया उद्यान स्थल के विकास एवं संधारण कार्य से पृथक कर उक्त उद्यान स्थल को रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अपने आधिपत्य में कर लिया जाएगा।**

इस कार्य के संबंध में नियम एवं शर्तें प्राधिकरण सम्पदा शाखा से कार्यालयीन समय में प्राप्त किया जा सकता है। नियम एवं शर्तें प्राधिकरण की वेबसाईट https://rdaraipur.cgstate.gov.in **में भी उपलब्ध है।**

अति. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
रायपुर विकास प्राधिकरण
रायपुर (छत्तीसगढ़)